तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 67/2021 अनवान केकूदेवी बनाम खेता	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
04/08/23	**निर्णय** पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा जोगेश्वर कुआ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 430 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 783/431 रकबा 106.10 बीघा, खसरा संख्या 784/431 रकबा 25.16 बीघा, खसरा संख्या 785/431 रकबा 43.03 बीघा, खसरा संख्या 786/431 रकबा 38.02 बीघा कुल रकबा 214.02 बीघा भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। वाद का निर्णय मेरिट पर किया जाना है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 व 02, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है तथा भूमि का अन्य को बेचान करने पर उतारू है। लिहाजा माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 21.12.2021 अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें। वकील अप्रार्थी 01 व 02 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मात्र संदेह पर प्राप्त की है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनीगण के हिस्से को न तो बेचान किया जा रहा है न ही प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा दखलन्दाजी की जा रही है मात्र सन्देह होने पर प्रार्थीनीगण ने माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। प्रार्थीनीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रतीत हो की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनीगण के हिस्से को बेचान किया जा रहा है। प्रार्थीनीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा तथा न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है, तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नही होता कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की जा रही है। लिहाजा प्रार्थीनीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगंढत, बेबुनियाद तथा झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावें।	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	राजस्व आवेदन संख्या 67/2021 अनवान केकूदेवी बनाम खेता
	उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 21.12.2021 को प्रार्थीनीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभाव में है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि का बेचान होता है तो प्रार्थीनीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीनीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जोगेश्वर कुआ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 430 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 783/431 रकबा 106.10 बीघा, खसरा संख्या 784/431 रकबा 25.16 बीघा, खसरा संख्या 785/431 रकबा 43.03 बीघा, खसरा संख्या 786/431 रकबा 38.02 बीघा कुल रकबा 214.02 बीघा में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर